न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री अयूब खान (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध संख्या 39 / 2018

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
1 मन्जु कंवर पत्नि अनोपसिंह, जाति चारण, निवासी रेन्दड़ी, तह0 सोजत जिला पाली, (राज0)	1 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, (लैण्ड होल्डर) सोजत, तह0–सोजत।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130, 131, 133 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

1. **श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।**
2. **श्री सुरेश चन्द शर्मा तहसीलदार, सोजत उपस्थित।**

–: निर्णय :– **दिनांक 25.02.2019**

अधिवक्ता मय प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थी तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सोजत अन्तर्गत धारा 130, 131, 133 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम गुड़ा कला के खसरा नम्बर 504 / 3 रकबा 1.0000 है0 कृषि भूमि प्रार्थीया की खातेदारी कब्जा काश्त स्थित है। उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 504 / 3, खसरा नंवर 504 का भाग है तथा इसी में से तरमीम किया गया है। दौराने तरमीम प्रार्थीया के प्रिन्सिपल विक्रेता के मौके पर कब्जानुसार तरमीम नही कर तत्कालीन अधिकारियों द्वारा बिना मौके की रिपोर्ट लिये एवं बिना मौका देखे नक्शा लटटा में तरमीम कर दिया गया है। जबकि मौके पर प्रार्थीया का 100 मीटर x 100 मीटर के माप के अनुसार मौके पर कब्जा चला आ रहा है। तत्कालीन अधिकारियों के द्वारा की गई तरमीम के अनुसार प्रार्थीया के कब्जासुदा भूमि के दक्षिणी तरफ पानी का बहाव क्षेत्र यानि नाला बना हुआ है। उक्त की गई तरमीम के अनुसार उक्त नाला प्रार्थीया की खातेदारी भूमि के अन्दर होना बता दिया गया है, जो गलत बताया गया है। प्रार्थीया का कब्जा 100 मी0 लम्बाई एवं 100 मी0 चौड़ाई के अनुसार है तथा उसी अनुसार प्रार्थीया नक्शा लटटा में तरमीम करवाना चाहती है तथा पूर्व में हुई तरमीम में शुद्धि करवाया जाना कानुनन आवश्यक एवं न्यायसंगत है। पूर्व मे की गई तरमीम के स्थान पर प्रार्थीया के मौके पर कब्जा अनुसार पुनः तरमीम करवाई जाती है तो उक्त बांध के ओवरफलों का नाला भी अवरूद्ध नही होगा तथा प्रार्थीया को भी किसी प्रकार का नुकसान नही होगा। यदि उक्त तरमीम को शुद्धि नही किया जाता है तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी तथा उक्त कृषि भूमि के कुछ हिस्से से महरूम होना पड़ेगा। इसलिए उक्त पूर्व में की गई तरमीम को दुरस्त करवाया जाकर पुनः मौके पर कब्जा अनुसार 100 मी0 x 100 मीटर के माप अनुसार तरमीम करवाया जाना कानुनन आवश्यक व न्यायसंगत है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थना पत्र शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर सरहद मौजा गुड़ा कलां के नक्शा लटटा में खसरा नम्बर 504 / 3 रकबा 1.000 है0 का पूर्व में किये गये तरमीम को हटवाया जाकर उसके स्थान पर 100 मी x 100मी के माप अनुसार पुनः नक्शा लटटा में तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार, सोजत को प्रदान किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सोजत अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्ताव तरमीम दिनांक 24.04.2018 मय रिपोर्ट पटवारी दिनांक 25.04.2018 पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम गुड़ा

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

कला के खसरा नम्बर 504/3 रकबा 1.000 है0 प्रार्थीया मंजू कंवर के नाम खातेदारी रेवेन्यू रेकर्ड के अनुसार आवश्य दर्ज है। उक्त खसरा नं0 504/3 जो खसरा सं0 504 का भाग है जो सही है। उक्त कृषि भूमि का पूर्व में तरमीम किया गया है, लेकिन पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा 100 x 100 वर्गमीटर है। वर्तमान में पटवारी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया की खातेदारी भूमि की वर्तमान तरमीम में उसकी लम्बाई अधिक बताई गई है, जबकि पटवारी रिपोर्टानुसार प्रार्थीया की कृषि भूमि के पीछे रोड़ावास बांध के पानी का बहाव क्षेत्र ओवरफलो आया हुआ है। इसलिए प्रार्थीया ने कब्जा अनुसार तरमीम किये जाने का प्रा0 पत्र पेश किया है। यदि प्रार्थीया द्वारा उक्त जमीन पर अगर धोरा लगवाया जाता है तो बांध के पानी का जो बहाव क्षेत्र है उसमें बाधा आयेगी। ऐसी स्थिति में मौके पर कब्जा अनुसार प्रार्थीया ने तरमीम करने का निवेदन किया है, जो सही है। इस प्रकार जबाब प्रार्थना पत्र मय नक्शा ट्रेस प्रस्ताव लाल स्याही से दर्शित तरमीम प्रस्ताव, मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पटवारी हल्का गुड़ा कला पेश कर प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थीया स्वीकार किये जाने तथा तरमीम दुरूस्ती किये जाने की ईश्तदुआ की है। न्यायालय हाजा द्वारा वांछित मौका रिपोर्ट पत्रांक भू0अ0/2019/262 दिनांक 30.01.2019 द्वारा अग्रेषित की गई। रिपोर्ट पटवारी गुड़ा कलां अनुसार खसरा नं0 504/3 रकबा 1.000 है0 किस्म बा0दो0 की पुनः तरमीम की जाती है तो उक्त खसरा के रकबा में किसी प्रकार का कोई रकबा परिवर्तित नहीं होगा। खसरा नम्बर 504/3 का रकबा 1.000 है0 ही रहेगा। उक्त खसरे की तरमीम दुरस्त की जाती है तो रास्ते की भूमि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना ही रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण होगा। उक्त मौका रिपोर्ट अपूर्ण अर्थात् मात्र अग्रेषण रिपोर्ट ही तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रेषित किये जाने से पुनः मौका स्वयं देखकर मौका रिपोर्ट मय स्पष्ट राय भिजवाने हेतु दिनांक 30.01.2019 को न्यायालय हाजा द्वारा आदेशित किया है। तहसीलदार, सोजत ने पत्रांक/भू0अ0/2019/377 दिनांक 14.02.2019 द्वारा पुनः मौका जॉच भू0अ0 निरीक्षक गुड़ा एवं पटवारी हल्का गुडा कलां द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की जाकर मय मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा के साथ प्रेषित की है कि ग्राम गुड़ा कलां अनुसार खसरा नं0 504/3 रकबा 1.000 है0 किस्म बा0दो0 की पुनः तरमीम की जाती है तो उक्त खसरा के रकबा में किसी प्रकार का कोई रकबा परिवर्तित नहीं होगा। खसरा नम्बर 504/3 का रकबा 1.000 है0 ही रहेगा। उक्त खसरे की तरमीम दुरस्त की जाती है तो रास्ते की भूमि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना ही रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण होगा। इस प्रकार दिनांक 24.04.2018 को दिये गये प्रस्ताव नक्शा ट्रेस मय लाल स्याही से दर्शित तरमीम दुरूस्ती किये जाने की ईश्तदुआ करके दिनांक 16.05.2018 को प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों की स्वीकारोक्ति व्यक्त की है तथा तदानुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने की अभिशंषा अंकित की है।

बहस प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थीया एवं तहसीलदार, सोजत सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थिया ने प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 130, 131 व 133 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र एवं मौका रिपोर्टादि तथा तरमीम प्रस्ताव दिनांक 24.04.2014 लाल स्याही अंकन अनुसार तथा जबाब प्रार्थना पत्र पत्रादि नजरी नक्शा अनुसार हो जाने से तरमीम दुरूस्ती किये जाने की ईश्तदुआ की है। तहसीलदार सोजत ने जबाब बहस में स्वीकारोक्ति/सहमति तरमीम दुरूस्ती किये जाने हेतु व्यक्त कर अभिशंषा व्यक्त की है। जिससे कि रोडावास बांध के पानी का बहाव क्षेत्र में कोई बाधा नहीं आवें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र, जबाव प्रा0 पत्र मय नक्शा ट्रेस प्रस्ताव लाल स्याही से दर्शित दिनांक 24.04.218 तथा जबाव प्रा0 पत्र संलग्न नजरी नक्शा दिनांक 25.04.2018 तथा मौका रिपोर्ट मय अभिशंषा पत्रांक/भू0अ0/2019/377 दिनांक 14.02.2019 का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता प्रार्थीया तथा अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत पर भी गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः राजस्व रेकर्ड तथा नक्शा में वास्तविक मौके की स्थिति अनुसार मौका रिपोर्ट आदि तथा अभिशंषा मय होल्डर तहसीलदार, सोजत द्वारा स्वीकारोक्ति/सहमति दी जा चुकी है। चूंकि राजस्व रिकार्ड

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

व नक्शा में त्रुटि को दुरूस्त किये जाने के अधिकार न्यायालय हाजा में निहित है। लिहाजा अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 130, 131 व 133 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार किया जाना तथा मौका रिपोर्ट मय प्रस्ताव नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित दिनांक 24.04.2018 अनुसार विवादग्रस्त कृषि भूमि मौजा–गुड़ा कलां स्थित ख0न0 504/3 रकबा 1.000 हैक्टर (वास्तविक रकबा मौका अनुसार 100 x 100 = 10000 वर्ग मीटर) बा0दो0 की पूर्व में की गई तरमीम को निरस्त किया जाना तथा वर्तमान दर्शित लाल स्याही की पुनः तरमीम दुरूस्ती किये जाने तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–:आदेशः–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 130, 131 व 133 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा–गुड़ा कलां तहसील–सोजत में स्थित ख0न0 504/3 रकबा 1.000 हैक्टर (वास्तविक रकबा मौका अनुसार 100 x 100 = 10000 वर्ग मीटर) बा0दो0 भूमि की पूर्व में की गई नक्शा लटठा में की गई तरमीम को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, सोजत द्वारा नक्शा ट्रेस दिनांक 24.04.2018 में दर्शित लाल स्याही से अंकित प्रस्ताव मय तहसीलदार, सोजत की अभिशंषा अनुसार तरमीम पुनः नक्शा लटठा वर्तमान में दुरूस्त किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। नजरी नक्शा दिनांक 24.04.2018 तथा जबाब प्रा0 पत्र के संलग्न मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 25.04.2018 को निर्णय का एक भाग माना जावें। तहसीलदार, सोजत को उक्त निर्णय तथा उक्त दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियॉ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(अयूब खान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

निर्णय आज दिनांक 25.02.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अयूब खान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner